प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.08.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुकान पर मारपीट करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 20.08.205 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री मतलूब अहमद पुत्र शौकत अली कस्बा किठौर मौहल्ला जलालुद्दीनपुरा जनपद मेरठ, की तहरीर के आधार पर वादी के पुत्र नवाजिश खान निवासी प्लाट नं.1 शॉप नं. 11 शालीमार गार्डन एक्स-1, गाजियाबाद के साथ अभियुक्त राशिद द्वारा मारपीट कर ब्लेड से हाथ को घायल करने के सम्बन्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 118(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया । थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 20.08.2025 को ही शालीमार गार्डन एक्स-1 से अभियुक्त राशिद पुत्र कालू निवासी प्लाट नं0-1954 , शमशाद कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त राशिद के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तारअभियुक्त राशिद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि शाप नं0- 916 शालीमार गार्डन एक्स-1 में एवन फर्नीशिंग की दुकान है। आज दोपहर समय 11.30 बजे नवाजिश पुत्र मतलूब अहमद दुकान में कुछ सामान ले रहे थे । आपसी पैसो के लेन देन को लेकर कहासुनी से हमारे बीच विवाद हो जाने से गुस्से में आक्रोशित होकर फोम काटने वाले ब्लेड से अभियुक्त राशिद ने नवाजिश के हाथ पर वार कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

राशिद पुत्र कालू निवासी प्लाट नं0- 1954 , शमशाद कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त राशिद के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10/11.08.2024 की रात्रि में थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत जयपुरिया मॉल के सामने स्थित घडियों के शोरुम "साई क्रिएशन" का शटर तोड़कर शोरुम में रखी कीमती घडियों की चोरी करने वाले चादर गैंग के 20 हजार रुपये का ईनामी / वाँछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, साई क्रिएशन शोरुम से चोरी की गई 01 घड़ी बरामद व चोरी की एक मोटर साईकिल बरामद ।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरणः- आज दिनांक-20.08.2025 को स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा कनावनी पुलिया पर मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से चेकिंग की जा ही थी तभी मोटर साईकिल सवार एक व्यक्ति जो हिण्डन बैराज की तरफ से आ रहा था पुलिस की चैकिंग को देखकर मोटर साईकिल को पीछे की तरफ मोडकर नहर पटरी पर भागने लगा, शक होने पर तत्पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया, वसुन्धरा टी-पॉइन्ट के पीछे झाडियों वाले मैदान मे पहुँचकर उक्त व्यक्ति द्वारा खुद को पुलिस से घिरता देख बचने की नियत से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर किया, जिसमें पुलिस कर्मी बाल-बाल बचे। अभियुक्त पुनः तमंचे को लोड करने का प्रयास करने लगा तो उक्त व्यक्ति को दूसरा फायर करने का मौका न देते हुए पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को समय करीब 20.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्त ने अपना नाम संतोष जैसवाल उर्फ आसामी पुत्र नारायण प्रसाद जैसवाल निवासी ग्राम इनरबारी वार्ड न0-04 थाना कोपवा जिला रौतहट, मधेश प्रदेश, नेपाल उम्र करीब 24 वर्ष बताया। घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व साँई क्रिएशन शोरूम से चोरी टीसॉट कम्पनी की 01 घडी कीमत करीब 43 हजार रूपये व थाना इन्दिरापुम से चोरी पैशन प्रो मोटर साईकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त संतोष जैसवाल उर्फ आसामी उपरोक्त थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र के साई क्रिएशन शोरूम से वर्ष 2024 में हुई चोरी की घटना में वाँछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त, ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने अपने साथियों के साथ माह अगस्त वर्ष 2024 मे थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे घडियों के शोरूम के सामने चादर लगाकर शोरूम का शटर उखाडकर विभिन्न इण्टरनेशनल ब्राण्ड की गडियों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था तथा चोरी करने के बाद नेपाल भाग गया था। उक्त चोरी की घटना मे चोरी की की गयी घडियों मे से 01 घडी बो बेचने के लिए दिल्ली एन0सी0आर0 मे आया हुआ था जो आज उससे बरामद की गयी है उक्त अभियुक्त दिल्ली एन0सी0आर0 मे पेन्टर का काम करता है व पेन्टर का काम करने के दौरान चोरी हेतु शोरूमों की रैकी कर लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- संतोष जैसवाल उर्फ आसामी पुत्र नारायण प्रसाद जैसवाल निवासी ग्राम इनरबारी वार्ड न0-04 थाना कोपवा जिला रौतहट, मधेश प्रदेश नेपाल उम्र करीब 24

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व साँई क्रिएशन शोरुम से चोरी की गई टिसॉट कम्पनी की 01 घड़ी, व रैकी करने मे प्रयुक्त पैशन प्रो मोटर साईकिल (थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से चोरी) बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त संतोष जैसवाल उर्फ आसामी के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम क्राईम ब्रान्च, कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

वाहनों पर बिना HSRP, दूषित/बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस का विशेष अभियान

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा बिना HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट, दूषित/बिना नंबर प्लेट एवं जानबूझकर चालान से बचने हेतु नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष एवं व्यापक अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान समस्त सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात अपने अपने जोन में भ्रमणशील रहे एवं सभी यातायात निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक गणों को अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा शहर/देहात के प्रमुख मार्गों, चौराहों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग की। अभियान में विशेष रूप से पहचान छुपाने के उद्देश्य से नंबर प्लेट मानक के अनुरूप न होना/बिना नंबर प्लेट/जानबूझकर दूषित व किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों को प्रमुख रूप से चिन्हित/चेक किया गया। यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल **436 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई तथा 11 वाहनों को सीज किया गया।**

बिना नंबर प्लेट/दूषित नंबर प्लेट वाले वाहन प्रायः आपराधिक मामलों में भी संलिप्त पाए जाते हैं। अतः सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण की दृष्टि से यह अभियान भविष्य में भी अनवरत जारी रहेगा।

अपील:-

यातायात पुलिस सभी आमजन से अपील करती है, कि सभी वाहन चालक अपने वाहनों पर मानक के अनुरूप एवं स्पष्ट HSRP नंबर प्लेट ही लगवाएँ, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ न करें एवं यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद ।

दिनांक 20.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रात्रिकालीन गस्त / चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गोपाल उर्फ टाली उर्फ दीपक पुत्र जोगेन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासी गांव जलालाबाद मुरादनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को रेलवे स्टेशन से ओएफएम की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जो चोरी के मोबाइल को बेचने की फिराक में था, जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल बरामद किया गया जिसके सम्बंध में थाना मुरादनगर पर धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत पूर्व से अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि करीब एक महीना पहले कनौजा से डासना जाने वाले रास्ते पर एक मोटरसाइकिल खडी थी, जिस पर एक बैग टंगा था और मोटरसाइकिल चालक थोडी दूरी पर टॉयलेट कर रहा था, मैंने अपने साथी शादाब व शादाब के एक दोस्त के साथ मिलकर मौका पाकर हम तीनों ने मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया, मोटरसाइकिल पर टंगे बैग से 01 मोबाइल मिला। चोरी की हुई मोटरसाईकिल मेरे दोस्त शादाब जो जलालाबाद में रहता है के पास थी व यह मोबाइल फोन मेरे पास था जिसको रेलवे स्टेशन के पास राह चलते व्यक्ति को बेचने की फिराक में बैठा था, पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गोपाल उर्फ टाली उर्फ दीपक पुत्र जोगेन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासी गांव जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

वांछित अभियुक्त

1.शादाब निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

2.शादाब का एक दोस्त नाम पता अज्ञात

बरामदगी-

01 चोरी का मोबाइल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गोपाल उर्फ टाली उर्फ दीपक के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद।

दिनांक 19.08.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादी के भाई के साथ जान से मारने की नीयत से चाकू व फावडा से मारपीट करना जिससे वादी के भाई के काफी गंभीर चोटें आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/131 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.08.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त निशान्त उर्फ बोस पुत्र देवेन्द्र (ढक्कन) निवासी ग्राम मुरादाबाद थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। निशादेही से घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी का भाई अक्षय शराब के नशे में मुझे गन्दी गन्दी गालियाँ दे रहा था जिससे गुस्से में आकर मैने अपने हाथ में लिये हुए फावडे से उस पर वार कर दिया जिससे वह लहुलुहान हो गया था और मै मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निशान्त उर्फ बोस पुत्र देवेन्द्र (ढक्कन) निवासी ग्राम मुरादाबाद थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त निशान्त उर्फ बोस उपरोक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 22.07.2025 को मेरी नाबालिग पुत्री अज्ञात व्यक्ति के साथ घर से बिना बताये कही चली गई । तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया । पीडिता की बरामदगी हेतु टीमें गठित कर दिनांक 15.08.2025 को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के पास से बरामद किया गया । पीडिता द्वारा बताया कि अभियुक्त अर्जुन का छोटा भाई अपने साथ कानपुर ले गया था । वहा पर अर्जुन ने मेरे साथ गलत कृत्य किया है । विवेचना के दौरान धारा 70(2) बीएनएस व 5g/6 पोक्सो एक्ट के अपराध का होना पाया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दिनांक 21.08.2025 को अभियुक्त अर्जुन पुत्र सुरजन पता निवासी डांडा अमौली थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर उ0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष को शौचालय कट डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त अर्जून से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त का भाई पीडिता को दिनांक 22.07.2025 को गाजियाबाद से लेकर कानपुर आया था और अपने बड़े भाई अर्जुन के पास रुक गया था । अर्जुन ने अपने छोटे भाई को सामान लेने के लिये बाजार भेज दिया था । इसी दौरान अभियुक्त अर्जुन ने पीडिता के साथ गलत कृत्य किया । अभियुक्त अर्जुन के छोटे भाई को दिनांक 20.08.2025 को बाल सरक्षण गृह भेज दिया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अर्जुन पुत्र सुरजन पता निवासी डांडा अमौली थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर उ0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही की विवरणः- दिनांक 20.08.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग / गस्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अवैध गांजा की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त सुल्तान पुत्र नसीबूद्दीन निवासी शिव मन्दिर के पीछे महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को कौशाम्बी बस स्टैण्ड के पीछे मैदान से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त सुल्तान के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुल्तान से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सुल्तान से बरामद उक्त गांजा को दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से सस्ते दामों में खरीदकर लाता है और उस गाजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर नशा करने वाले व्यक्तियों को उचित दामों में बेच देता है। इस प्रकार अभियुक्त अधिक लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
सुल्तान पुत्र नसीबूद्दीन निवासी शिव मन्दिर के पीछे महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सुल्तान के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर एनडीपीएस एक्ट के 02 अभियोग व 01 अभियोग आयुद्ध अधिनियम का कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने वाला वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 18.08.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी सकील मलिक पुत्र राजेन्द्र खान उर्फ रियाजुद्दीन निवासी सना मस्जिद के पास इकबाल कॉलोनी पसौन्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16.08.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे भाई आसिफ मलिक उर्फ गटुआ जिसका मृत शरीर भोपुरा से तुलसी निकेतन के बीच एम0 के0 रेस्टोरेन्ट कट के पास पीपल के वृक्ष पर लटका मिला था। आशंका है कि मेरे भाई आसिफ को मार कर लटका दिया गया है या मेरे भाई मृतक आसिफ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दोरान सद्दाम हुसैन उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया तथा पंजीकृत अभियोग की धारा 103(1) बीएनएस में अपराध का होना नही पाया गया। धारा 108 बीएनएस के अपराध का होना पाया गया है। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 21.08.2025 को

अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र अली हुसैन निवासी म0न0 120, ओ ब्लाक सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली , मूल पता नूर नगर चाँद मस्जिद के पास बहेड़ी थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 25 वर्ष को कोयल एन्कलेव मुख्य गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम हुसैन उपरोक्त के आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सद्दाम हुसैन मृतक आसिफ मलिक उर्फ गटुआ से दोस्ती थी। मृतक आसिफ मलिक उर्फ गटुआ सूखा नशे करने का आदी था। आसिफ मलिक का सद्दाम हुसैन के घर पर आना जाना था। वर्ष 2022 में सद्दाम हुसैन चोरी के मामले में जेल चला गया था तभी सद्दाम हुसैन की गैर मोजूदगी में आसिफ मलिक की दोस्ती सद्दाम हुसैन की पत्नी से हो गई। जेल से आने के बाद अभियुक्त सद्दाम हुसैन को पता चला कि आसिफ मलिक मेरी पत्नी से बात करता है। काफी बार मना करने के बाद भी आसिफ मलिक ने सद्दाम हुसैन की पत्नी से बात करनी नही छोडी दिनांक 15/08/2025 को आसिफ मलिक अभियुक्त सद्दाम हुसैन के घर सुन्दर नगरी आया था और उसकी पत्नी से मिलने की कोशिश कर रहा था। इसी बात पर अभियुक्त सद्दाम हुसैन और आसिफ मलिक का आपस में झगड़ा हो गया। आसिफ मलिक सद्दाम की पत्नी से गुस्से में बोला कि मुझसे बात नही की तो मैं फांसी लगा लूंगा। इसी बात पर आसिफ ने फासी लगा ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सद्दाम हुसैन पुत्र अली हुसैन निवासी म0न0 120, ओ ब्लाक सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली , मूल पता नूर नगर चाँद मस्जिद के पास बहेड़ी थाना बहेड़ी जनपद बरेली उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम हुसैन के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर आत्महत्या के लिये उकसाना का 01 अभियोग व चोरी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अप्रचलित नोटों की करेंसी को कमीशन आधार पर नई करेंसी में चेंज कराने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 लाख रुपये अप्रचलित नोटों की करेंसी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 20.08.25 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना पर गली नं0 1 लोकप्रिय विहार में एक पैथलेब से एक अभियुक्त जयवीर सिंह पुत्र दुलीचंद निवासी गली नं0-1 लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम आदमपुर टप्पल अलीगढ उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से पुरानी करेंसी के 1000-1000 रु के नोटों की 6 गड्डियां कुल 06 लाख रुपये बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(2) /62/61(2) बीएनएस व धारा 5/7 स्पेसीफाइड बैंक नोटस (सीसेशन आंफ लाइबिलेटीस) एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जयवीर के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त जयवीर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त से बरामद अप्रचलित करेंसी को उसके साथी अंकुश ने 15% पर बदलने के लिये दिये थे। पैसे बदलवाने के लिये अंकुश द्वारा अभियुक्त जयवीर को 50 हजार रु देने का वादा किया गया था। अंकुश की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जयवीर सिंह पुत्र दुलीचंद निवासी गली नं0-1 लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी जनपद गाजियबाद मूल पता ग्राम आदमपुर टप्पल अलीगढ उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- पुरानी करेंसी के 1000-1000 रु के नोटों की 6 गड्डियां कुल 06 लाख रुपये।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त जयवीर उपरोक्त के विरूद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना खोडा पुलिस टीम।